

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2055
गुरुवार, 12 दिसम्बर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

तीर्थस्थलों पर भगदड़

2055 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2019 से तीर्थ स्थलों पर भगदड़ के कारण राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी मौतें हुई हैं; और
- (ख) सरकार द्वारा तीर्थ स्थलों पर, विशेषकर छुट्टियों और त्यौहारों के दौरान, भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने और भगदड़ की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय तीर्थस्थलों पर भगदड़ के कारण हुई मृत्यु की संख्या के संबंध में आंकड़ें नहीं रखता है। हालांकि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-2022 के दौरान भगदड़ के कारण हुई आकस्मिक मृत्यु का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	भगदड़ से आकस्मिक मृत्यु की संख्या
2019	12
2020	14
2021	25
2022	22

वर्ष 2019-2022 के दौरान भगदड़ के कारण हुई आकस्मिक मृत्यु का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): यद्यपि, तीर्थस्थलों पर भीड़ के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यूपलबी)/मंदिर न्यास की है, सरकार ने स्वदेश दर्शन, प्रशाद और केंद्रीय एजेंसियों

की सहायता की योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना में सुधार करने और भीड़-भाड़ पर काबू पाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

इसके अलावा, प्रशाद योजना के तहत, कई घटकों को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाना है, जैसे कि भीड़ को प्रबंधित करने और तीर्थयात्रियों के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मंदिर परिसर में रेलिंग, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंदिर परिसर और निकटवर्ती क्षेत्र में सीसीटीवी प्रणाली की व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था की गई है। पर्यटकों/तीर्थयात्रियों को निर्दिष्ट गंतव्य की ओर जाने में मदद करने के लिए मंदिर परिसर और निकटवर्ती क्षेत्र में सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और दिशात्मक तथा सूचनात्मक संकेतक प्रदान किए गए हैं।

अनुबंध

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा तीर्थस्थलों पर भगदड़ के संबंध में दिनांक 12.12.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 2055 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

वर्ष 2019-2022 के दौरान भगदड़ के कारण हुईं आकस्मिक मृत्यु का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	2	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3	असम	0	0	8	0
4	बिहार	0	0	9	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
6	गोवा	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10	झारखंड	0	0	0	6
11	कर्नाटक	0	0	0	0
12	केरल	3	1	0	0
13	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
14	महाराष्ट्र	0	0	0	0
15	मणिपुर	0	0	0	0
16	मेघालय	0	1	0	0
17	मिजोरम	0	7	0	0
18	नागालैंड	0	1	0	0
19	ओडिशा	0	4	0	0
20	पंजाब	0	0	0	0
21	राजस्थान	0	0	0	3
22	सिक्किम	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	7	0	8	1
24	तेलंगाना	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0

26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
	कुल राज्य	12	14	25	10
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव @+	0	0	0	0
32	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र	0	0	0	0
33	जम्मू एवं कश्मीर@*	0	0	0	12
34	लद्दाख@	-	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	0	0	0	12
	कुल (अखिल भारतीय)	12	14	25	22

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार

'+' वर्ष 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़ें

'@' नव निर्मित संघ राज्यक्षेत्र 2020 के आंकड़े
